



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/ 778

06.01.2026

को,

प्लेक्सकौन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक सहायता का शुभारंभ – निर्यात प्रोत्साहन**

**संदर्भ: डीजीएफटी - व्यापार सूचना संख्या 21/2025-26 दिनांक 02 जनवरी 2026**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) - निर्यात प्रोत्साहन के तहत निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक सहायता शुरू करने की घोषणा करते हुए एक व्यापार अधिसूचना जारी की है।

यह योजना प्रायोगिक आधार पर लागू की गई है जिसके तहत पात्र MSME निर्यातक सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा अधिसूचित सीमा और कवरेज मापदंडों के अनुसार निर्यात संबंधी कार्यशील पूंजी ऋणों के लिए ऋण गारंटी सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

**योजना की विशेषताएं नीचे दी गई हैं।**

सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए 85% तक और मध्यम निर्यातकों के लिए 65% तक की क्रेडिट गारंटी कवरेज, अधिसूचित सीमाओं के अधीन।

**पात्र क्रेडिट:**

- शिपमेंट से पहले रुपये में निर्यात ऋण
- शिपमेंट के बाद रुपये में निर्यात ऋण

**पात्र लाभार्थी:**

- लघु एवं मध्यम उद्यम निर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक
- वैध आईईसी और वैध उद्यम पंजीकरण होना आवश्यक है।

### उत्पाद कवरेज:

एचएसएन की 6-अंकीय टैरिफ लाइनों की अधिसूचित सकारात्मक सूची के अंतर्गत निर्यात।

### अधिकतम लाभ:

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति निर्यातक अधिकतम गारंटी सीमा ₹10 करोड़ है।
- कवरेज निर्यात से जुड़े कार्यशील पूंजी ऋण तक सीमित है।

### महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक आवश्यकता

निर्यातकों को निर्यात ऋण प्राप्त करने से पहले डीजीएफटी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आशय आवेदन जमा करना होगा, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत तक वैध एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त होगी।

### आवश्यक दस्तावेज

- वैध आईईसी (निलंबित/रद्द नहीं)।
- आईईसी से जुड़ा वैध उद्यम प्रमाणपत्र।
- पिछले तीन वर्षों के राजस्व और निर्यात कारोबार के लिए सीए प्रमाणपत्र।
- स्व-सत्यापित निर्यात क्रय आदेश की प्रति।

विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्र एचएसएन कोड की सकारात्मक सूची, पात्र ऋण संस्थानों की सूची और आशय दाखिल करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक को देखें:

[https://membership.plasticsepc.org/emails\\_images/20260105021532.pdf](https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260105021532.pdf)

सदस्यों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे योजना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित बैंकों के साथ समन्वय करें।

सदस्य 16.01.2026 तक [bharti@plexconcil.org](mailto:bharti@plexconcil.org) और [research@plexconcil.org](mailto:research@plexconcil.org) पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव भी भेज सकते हैं ताकि हम उन्हें संकलित करके डीजीएफटी को भेज सकें।

साभार

टीम प्लेक्सकॉन्सिल